**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)**
**पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**
**राजस्व अपील संख्या : 4/2020 Gcms No. 2020/00093**
**दायरा तिथि : 18.08.2020**
**आदेश दिनांकः** 21-10-22

**अपीलार्थी :–**
दलपतसिंह पुत्र श्री गणेश, जाति दरोगा
निवासी ग्राम जादरी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट :–**
1. ग्राम पंचायत बेडल, जरिये सचिव, ग्राम पंचायत बेडल
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**उपस्थितिः–**
1. श्री अमृत परिहार ..... अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
2. रेस्पोडेन्ट संख्या.....01 अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.....पैरोकार सरकार

**–:: आदेश ::–** दिनांक 21-10-22

***अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956***
***(विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत बेडल द्वारा खारिज किये गये नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 5.06.1999)***

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी ने अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा ग्राम जादरी के खसरा नंबर 406, 407, 408 व 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी भूमि धारित की जा रही है। उक्त भूमि में अप्रार्थी के स्व0 पिता श्री गणेशराम का 1/2 हिस्सा निहित रहा है। अपीलार्थी कें पिता गणेशराम का स्वर्गवास दिनांक 18.05.1994 को हो चुका है। तथा अपीलार्थी की माता श्रीमति सायर कंवर का भी स्वर्गवास हो चुका है। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता के देहान्त बाद पटवारी हल्का से म्यूटेशन भरने बाबत् सम्पर्क किया, तो पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 13.04.1999 को भर कर ग्राम पंचायत बेडल में प्रस्तुत किया। सरपंच ग्राम पंचायत बेडल ने नामान्तरकरण संख्या 226 पर'' सिलिंग प्रकरण विचाराधीन होने का नोट अंकन करते हुये नामान्तरकरण को दिनांक 05.06.1999 को खारिज कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत बेडल का नामान्तरकरण संख्या 226 पर दिनांक 05.06.1999 को पारित आदेश विधिक प्रावधानो के प्रतिकूल होने से उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुती में हुई देरी को कन्डोन करने के लिये धारा 05 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में अपीलार्थी का शपथ पत्र पेश किया गया। तथा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 226 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र श्री गणेशजी, मृत्यु प्रमाण पत्र सायरकंवर, अन्तरकंवर का प्रमाण पत्र एवं वंशावली प्रमाण पत्र बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत अपील **Subject to Limitation** दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ग्राम पंचायत बेडल की ओर से प्रस्तुत अपील का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार, बाली ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर भूमि के सह खातेदार गणेश पुत्र सोमा के देहान्त के पश्चात् दाखिल नामान्तरकरण संख्या 226 को सरपंच ग्राम पंचायत बेडल द्वारा दिनांक 05.06.1999 को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् प्रार्थीया सुखीकंवर पुत्री गणेश द्वारा पुनः ग्राम जादरी के खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर भूमि के सह खातेदार गणेश पुत्र सोमा के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मय शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र पेश करने से पटवारी हल्का, बेडल द्वारा नये सिरे से नामान्तरकरण संख्या 882 दाखिल किया गया। जिस फौतेदगी नामान्तरकरण को जांच के बाद तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 17.08.2020 को पुनः खारिज कर दिया। तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी नामान्तरकरण खारिज के सबंध में उल्लेखित नोट सिलिंग प्रकरण के सबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है, अतः इस हेतु तहसीलदार, बाली से स्थिति स्पष्ट कराई जावे। वकुलाय को सुनने के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 02.03.2022 से तहसीलदार, बाली अपीलाधीन भूमि से सबंधित सिलिंग प्रकरणो से सबंधित स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। प्रकरण तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के लिये लंबित रहते हुये अधिवक्ता अपीलार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी गई कि सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल ने सिलिंग प्रकरण विचाराधीन का अनावश्यक नोट

पेज लगातार.....02

**राजस्व अपील संख्या : 4/2020 Gcms No. 2020/00093**

**अनवान दलपतसिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बेडल वगैरा**

***अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम, 1956***

***(विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत बेडल द्वारा खारिज किये गये नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 5.06.1999)***

अंकन कर अपीलार्थी के पुश्तैनी भूमि में नाम दर्ज किये जाने हेतू दाखिल फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 226 को अकारण ही खारिज कर दिया, तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली न्यायालय आदेश के बावजुद आज तक सिलिंग प्रकरण विचाराधीन होने बाबत् स्थिति स्पष्ट करने में असफल रहे है। नामान्तरकरण एक **फिसकल प्रोसिडिग्स** है, जिससे मालिकाना हक तय नहीं होते तथा उक्त प्रकरण में तो अपीलार्थी अपने स्व0 पिता द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि में उनके हिस्से की भूमि में नामान्तरकरण की मांग कर रहा है। जिसको इतने लम्बे समय तक लंबित रखना न्यायोचित नहीं होने से प्रकरण में वर्णित ग्राम जादरी के विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 226 के सबंध में सरपंच ग्राम पंचायत बेडल द्वारा दिनांक 5.06.1999 को पारित आदेश विधि शून्य होने से उक्त पारित आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर में अपीलार्थी के स्व0 पिता गणेश पुत्र सोमा के निहित 1/2 हिस्सा में स्व0 गणेश के विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील दी गई। इस सबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या–02 पैरोकार सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि वर्णित भूमि के सबंध में अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर दाखिल नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 05.06.1999 को सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल द्वारा खारिज किये जाने के बाद अपीलार्थी की बहन सुखीकंवर पुत्री गणेश द्वारा पुनः इसी भूमि बाबत् फौतेदगी नामान्तरकरण करने के लिये आवेदन किया गया। जिस आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का, बेडल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 882 दर्ज किया गया। जिस नामान्तरकरण संख्या 882 को तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 17.08.2020 को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि में नाम दर्ज करवाने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल द्वारा खारिज नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 05.06.1999 को पारित आदेश को निरस्त करवाये जाने की मांग की जा रही है, परन्तु जब इसी भूमि बाबत् अपीलार्थी की बहन सुखीकंवर के आवेदन पर पुनः नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है, तथा सुखीकंवर के आवेदन पर दाखिल नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 17.08.2020 को तहसीलदार, बाली द्वारा खारिज भी कर दिया गया है। तथा तहसीलदार, बाली द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 17.08.2020 को नामान्तरकरण खारिज होने के बाद अपीलार्थी द्वारा पुर्व के नामान्तरकरण संख्या 226 में सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल द्वारा दिनांक 05.06.1999 को पारित आदेश को निरस्त किये जाने के लिये दिनांक 18.08.2020 को पुनः इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना न्याय संगत नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं विद्वान् वकील अपीलार्थी श्री अमृत परिहार की बहस एवं इनके खण्डन स्वरूप पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दिये गये तर्को पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर में अपीलार्थी के स्व0 पिता गणेश पुत्र सोमा के निहित 1/2 हिस्सा में स्व0 गणेश के 1/2 हिस्सा में अपीलार्थी द्वारा स्व0 गणेश के वारिशान का नाम दर्ज करवाने का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का, बेडल द्वारा विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 13.04.1999 को दाखिल कर निरीक्षक की जांच के बाद सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल के समक्ष रखा गया। सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल ने दिनांक 05.06.1999 को विवादास्प्रद नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। इसके पश्चात् अपीलार्थी की बहन सुखीकंवर द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने से पटवारी हल्का, बेडल द्वारा नये सिरे से नामान्तरकरण संख्या 882 दर्ज दाखिल किया गया, जिस नामान्तरकरण को तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 17.08.2020 को पुनः खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि बाबत् विवादास्प्रद नामान्तरकरण के पश्चात् नया नामान्तरकरण संख्या 882 भी दर्ज होकर जांच के पश्चात् तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 17.08.2020 को खारिज किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पुर्व के नामान्तरकरण संख्या 226 को आधार बनाते हुये उक्त अपील प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्व है। प्रकरण में अपीलाधीन भूमि के सबंध में तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 17.08.2020 को पारित निर्णय अंतिम है। विधिक प्रावधानो के अनुसार अंतिम निर्णय को ही चुनौती दी जा सकती है। चूँकि तहसीलदार का अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी न होकर जिला कलक्टर है, अतः अपीलार्थी को चाहिये था कि वे विधिक प्रावधानो के अनुसार अपीलाधीन भूमि के सबंध में दाखिल नामान्तरकरण संख्या 882 में तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 17.08.2020 को पारित आदेश को अपास्त कराने के लिये सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते, परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं करते हुये पुराने नामान्तरकरण संख्या 226 को आधार बनाते हुये उक्त अपील इस न्यायालय में पेश की है, जिससे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री आयकुडे [illegible])
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 21-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।